

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

क्र. 171/2024
तारीख
हुक्म

राघव v/s अनिल
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

6.08.2024

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाड़ा ने पत्र क्रमांक भू0A0 /2024/2208 दिनांक 16.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.08.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

1. राघव पुत्र दिनेश कुमार लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के आराजी नम्बर 818/2 क्षेत्रफल 1.1143 हैक्टेयर रहेगी।
2. अनिल पुत्र रामराय सोनी, साकिन भीलवाड़ा, कविता पत्नी दिलीप चपलोट साकिन नीयर सिविल लाईन राजसमन्द, प्रिक्षित पत्नी गौरव जाजू साकिन आजाद चौक के पास भीलवाड़ा खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-
आराजी नम्बर 811 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 812 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 818/1 रकबा 0.0870 हैक्टेयर कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.6687 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पट्टेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या
171 / 2024

दायर दिनांक
23.07.2024

निर्णय दिनांक
16.08.2024

उनवान

राघव लढा पुत्र श्री दिनेश कुमार लढा जाति महाजन आयु वयस्क निवासी 2 एफ 11 आर सी
व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा व जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादी

बनाम

1. अनिल पुत्र श्री रामराय सोनी आयु वयस्क निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती कविता पत्नी श्री दिलीप चपलोट आयु वयस्क निवासी सिविल लाईन के पास, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. प्रिशित पत्नी श्री गौरव जाजू आयु वयस्क निवासी आजाद चौक के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी स्वयं उपस्थित।
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।


वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम तेलीखेडा तहसील भीलवाड़ा

1. राघव पुत्र दिनेश कुमार लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के निम्न आराजी नम्बर 818/2 क्षेत्रफल 1.1143 हैक्टेयर रहेगी।
2. अनिल पुत्र रामराय सोनी, साकिन भीलवाड़ा, कविता पत्नी दिलीप चपलोट साकिन नीयर सिविल लाईन राजसमन्द, प्रिशित पत्नी गौरव जाजू साकिन आजाद चौक के पास भीलवाड़ा खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-
आराजी नम्बर 811 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 812 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 818/1 रकबा 0.0870 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.6687 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा